\

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 09/2026

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2026/25

प्रार्थीयागण

1 तगीदेवी पत्नी पुनमाराम वगैरह

अप्रार्थीगण

सरकार जरिये भूमिधारी

तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 16.01.2026

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीयागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धवलचन्द बिश्नोई व श्री शैलेष बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 01 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 27.04.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा डेडवा के खसरा संख्या 1358/428 रकबा 0.2750 हैक्टेयर आया हुआ है उक्त खेत के उतर पूर्व में सड़क चल रही है। उक्त सड़क से एक राजकीय कटाण रास्ता जो खसरा संख्या 1358/428 में से उतरी माठ होते हुए सड़क पर आवागमन करते है जो हमारे खेत में से रास्ता प्रदर्श 'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' दर्शाया गया हैं उक्त रास्ता सड़क से नजदीक होने पर हम प्रार्थीयागण द्वारा भूमि राज्य सरकार के हक में समर्पण कर मौके पर रास्ता की भूमि छोड़ी गई जो राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम सुदा है तथा मौके पर आवागमन वर्तमान में चालू है। प्रार्थीयागण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1358/428 रकबा 0.2750 हैक्टेयर के पश्चिम दक्षिण में कभी रास्ता की कभी किसी को आवश्यकता थी किन्तु राजस्व ऐजेंन्सी द्वारा हमारी पीठ पीछे नक्शा प्रदर्श 'अ' में मार्क 'ए' से 'सी' रास्ता राजस्व रेकर्ड में तरमीम कर हमारे खातेदारी की भूमि में से रकबा 0.03 कम कर राजकीय खाता में दर्ज कर दिया जो कतई गलत है चूंकि उक्त रास्ते का बदले हम प्रार्थीयागण ने हमारी खातेदारी का खेत खसरा संख्या 1358/428 में से नक्शा प्रदर्श 'अ' में मार्क 'ए' से 'बी' रास्ता देकर भूमि हमारे खातेदारी में से कम करवार कर तरमीम करवाकर आम जनता के आवागमन हेतु रास्ता सुपुर्द कर दिया है जो रास्ता मार्क ए से बी कही वर्षों से आम जनता के उपयोग व उपभोग में चला आ रहा है ऐसी सूरत में वाद पेश है। राजस्व ऐजेन्सी द्वारा हम प्रार्थीयागण के खातेदारी खेत में से नक्शा प्रदर्श 'अ' में मार्क ए से सी रास्ता दर्ज करने कि पूर्व में हम प्रार्थीयागण को जानकारी नहीं थी किन्तु अभी एक माह पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार सांचौर मौके पर आए तथा हम प्रार्थीयागण को एलानियां धमकी दी की मैं पुलिस के बल पर आपके खेत में से मार्क ए से सी रास्ता निकाल दूंगा। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि न्यायहित में प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

फरमाया जाकर मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक प्रार्थीयागण के पक्ष में तथा अप्रार्थी विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि मौजा डेडवा के खसरा संख्या 1314 / 429 रकबा 0.03 हैक्टेयर भूमि में हम प्रार्थीयागण के कब्जा काश्त में न तो अप्रार्थी स्वयं दखलंदाजी करें व न ही किसी अन्य से करावें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

हमनें अधिवक्ता प्रार्थीयागण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीयागण के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीयागण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पूर्णतयाः साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **27.04.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)